

[ श्री जगदीप प्रसाद मथुर ]

करता, चाहता हूँ कि आज समाचार-पत्रों में छपा सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है नागपुर के केस में—टेलीफोन डिपार्टमेंट के खिलाफ केस हुआ है—कि टेलीफोन डिपार्टमेंट टेलीग्राफ डिपार्टमेंट एक इंडस्ट्री है। अब इंडस्ट्री घोषित होने के बाद इसके बहुत से इम्प्लिकेशन्स हैं, सारे जितने लेकर लाज है उन पर लागू हो जाते हैं।

तो मैं निवेदन करूंगा हमारे पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स के मंत्री महोदय भी यहां बैठे हुए हैं, कि कम से कम इस सत्र के समाप्त होने से पहले सरकार यह जानकारी दे कि इस विषय में सरकार की नीति क्या है और क्या करने जा रही है, क्योंकि इसमें हजारों और लाखों मजदूरों का सवाल है ?

### CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

**Reported increasing incidents of atrocities on Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections**

**SHRI SURAJ PRASAD (Bihar):** Mr. Deputy Chairman, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the reported increasing incidents of atrocities on Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Weaker Sections of Society in various parts of the country with particular reference to the recent killing of nine tribals in Bihar and the action taken by Government in this regard.

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR):** Sir, the incidents of crimes and situations which affect the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections of the society have been causing great distress and concern to the Government. The Government is alive to the problem of the weaker sections of the society specially those belonging to Scheduled Castes.

According to the information received from the State Governments, 164 cases of murder have been registered in 1983 as against 179 for the corresponding period of 1982. Similarly, 463 cases of grievous hurt have been registered in 1983 as against 471 for the corresponding period of 1982. In case of rape, 226 cases were registered in 1983 against 255 of the corresponding period of 1982. 383 cases of arson were registered in 1983 as against 355 for the corresponding period of 1982. Total of 5025 cases were registered in 1983 as against 5029 for the corresponding period of 1982.

Comprehensive guidelines covering precautionary, preventive, punitive, rehabilitative and personnel policy measures have been communicated to the State Governments for effectively dealing with the crimes against Scheduled Castes/Scheduled Tribes. Continuous touch is maintained with the State Governments regarding effective implementation of these guidelines. The States have already been asked to impress upon the officers, particularly the police to have a sympathetic attitude towards the weaker sections. The Central Government have advised the State Governments to arrange for training of officials to ensure right orientation for carrying out programmes for Scheduled Castes/Scheduled Tribes. Most of the State Governments have reported that they have adequate machinery to implement the guidelines effectively, and some of the steps taken by them are as follows:—

(1) Special Courts have been set up and are functioning in the States of Andhra Pradesh, Rajasthan, Bihar, Tamil Nadu and Madhya Pradesh.

(2) The States of Haryana, Gujarat, Maharashtra, Kerala, Uttar Pradesh and West Bengal have accepted the standing scheme for relief/compensation to Scheduled Caste/Scheduled Tribe victims of crimes and have adopted the enhanced scale recommended by the

Commission for Scheduled Castes/Scheduled Tribes. The States of Andhra Pradesh, Bihar, Himachal Pradesh, Karnataka, Orissa, Tamil Nadu and Rajasthan have also drawn up schemes laying down varying rates of compensation. The remaining few States are being pursued to accept the scales of relief as suggested by the Commission for Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

(3) Special Cells are functioning in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Orissa, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh to ensure that crimes against weaker sections of the society are properly registered, promptly and correctly investigated and expeditiously prosecuted.

(4) In most of the States, State Level Committees under the Chairmanship of the Chief Minister have been set up to look after all the aspects concerning the welfare of Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

(5) Eleven Police Stations in Bihar and seven sub-Police Stations in Madhya Pradesh have been set up to exclusively register cases of crimes against Scheduled Castes.

Efforts are also made to expedite the prosecution of some major cases of crimes against the weaker sections of the society. Judgements were delivered in 1980, 1981 and 1982 in cases of Belchi Bistrampur, Kaila and Pipra in Bihar, Jetalpur in Gujarat and Palpur in Uttar Pradesh. In these cases, a total of 2 accused persons were sentenced to death, 136 accused persons were sentenced to life imprisonment and 8 accused were sentenced to 2 years rigorous imprisonments.

Various States have so far identified 48 districts which are sensitive from the point of view of crimes against Scheduled Castes/Scheduled Tribes. In such areas where tension prevails,

review of arm licences is undertaken on a continuing basis.

Machinery has also been geared up by the State Governments to apprise themselves of disputes on land, minimum wages, agricultural labourer and bonded labour etc. concerning the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The recent reported killing of some tribals in Purnea District of Bihar in which, according to the Government of Bihar, four Tribal persons have been killed in an altercation with some persons not belonging to Scheduled Tribes, has also caused great concern to the Government. The altercation took place over agricultural operation. The State Government have already deputed a company of armed police to the affected area. 22 persons have been arrested in connection with this incident. The situation is reported to be under control. The State Government has provided interim relief to affected families. Compensation according to the approved scales will be paid to the families of the victims after completing the necessary formalities.

The Government shares the anxiety of the Hon'ble Members regarding adequate protection of the people belonging to the weaker sections particularly Scheduled Castes and Scheduled Tribes and there can be no two opinions on the need to ensure that durable climate of harmony prevails all over the country. In this national endeavour, I appeal to the Hon'ble Members of all parties to extend their cooperation.

श्री सूरज प्रसाद : सरकार ने जो जवाब कॉलिंग अटेंशन के बारे में दिया है उस से लगता है कि सरकार इस प्रश्न पर गम्भीरता से, जितना सीरियसनेस से उसे इस प्रश्न को लेना चाहिए उस से इस को लेती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। अभी मेरे पास जो फीगर्स हैं 1981 और 1982 के उन को देखने से लगता यह है कि देश के अन्दर हरिजनों,

[श्री सुरज प्रसाद]

आदिवासियों के ऊपर जुल्म और अत्याचार की और उन की हत्याओं की घटनायें, उन के यहां आग लगाये जाने की घटनायें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। मेरे पास 1981 और 1982 की जो फीगर्स हैं उन के मुताबिक मैं कुछ राज्यों की स्थिति आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं ताकि उस से यह जाहिर हो जायेगा कि शेडयूल्ड कास्ट के बारे में यह तस्वीर है और किस प्रकार से शेडयूल्ड कास्ट और हरिजनों पर आज भी जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं। बिहार में 1981 में 1890 घटनायें हुई और 1982 में 2073 घटनायें हुई हैं। इसी प्रकार से गुजरात में 498 घटनायें 1981 में हुई और 1982 में 455 घटनायें हुई। हिमाचल प्रदेश में 68 घटनायें 1981 में हुई और 1982 में 73 घटनायें हुई। कर्नाटक में 337 घटनायें 1981 में हुई और 1982 में 363 हुई। मध्य प्रदेश में 3877 घटनायें 1981 में हुई और 1982 में 4749 घटनायें हुई। उत्तर प्रदेश में 3865 घटनायें 1981 में और 1982 में 3975 घटनायें हुई। महाराष्ट्र में 1981 में 518 हुई और 1982 में 695 हुई। इस प्रकार इनसे यह प्रकट होता है कि देश के पैमाने पर हरिजनों और आदिवासियों पर जुल्म और अत्याचार की घटनायें रोज ब रोज बढ़ती जा रही हैं। सरकार के इस बारे में क्या ख्यालांत हैं मुझे मालूम नहीं। लोक सभा में उन के बयान को जब मैं देख रहा था तो उससे लग रहा था कि देश के पैमाने पर हरिजनों और आदिवासियों पर जुल्म और अत्याचार की घटनाओं में कुछ कमी आयी है। लेकिन आज के बयान में इस तरह की कोई साफ बात नहीं है। लेकिन लगता यह है कि 36 वर्ष की आजादी के बाद

भी भारत के संविधान में हरिजनों और आदिवासियों के संरक्षण के प्रावधान के बावजूद और 20 सूत्री प्रोग्राम की घोषणा करने के बाद भी सरकार द्वारा तरह-तरह की उदार घोषणायें किये जाने के बाद भी लगता यही है कि हरिजनों और आदिवासियों पर जुल्म और अत्याचार की घटनायें रोज ब रोज बढ़ती चली जा रही हैं। भारत के संविधान पर यह एक कलंक है और सरकार के द्वारा जो घोषणायें की जाती हैं उन का मखौल बन जाता है और इस से यह प्रकट होता है कि सरकार किसी हद तक हरिजनों और आदिवासियों की रक्षा करने में विफल रही है। हरिजनों और आदिवासियों पर जुल्म की घटनायें रोज अखबारों में देखने को मिलती हैं और उन की महिलाओं का शीलहरण एक आम बात हो गयी है। कभी बिहार की धरती हरिजनों और आदिवासियों के खून से लाल हो जाती है तो कभी यू० पी०, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन के साथ होली खेली जाती है, तो कभी महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश और तमिल नाडु में उन की बर्बर और पाशविक हत्या की जाती है। अभी बेलछी की दर्दनाक कहानी विस्मरण भी नहीं हो पाई थी कि पिपरा, विश्रामपुर और धर्मपुरा आदि की घटनाओं की पुनरावृत्ति हमें सुनने को मिलती है। अभी 29 जुलाई को पूर्णिया जिले में 9 आदिवासियों की जघन्य हत्या की गई जिसका जिक्र आज के कालिंग अटैशन के बारे में है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अभी बिहार में ऊआ नामक स्थान में दीपक शर्मा नामक एक पुलिस अधिकारी ने 5 आदिवासियों को पकड़ा और जीप में बांधकर उनको घसीटा और उसके बाद उनको एक पोल पर लटकाकर तब तक पीटता रहा जब तक उनमें से एक की मृत्यु नहीं हो गई।

इसी तरह की घटना रोज देश के राज्यों में भी घटित हो रही हैं और मैं एक लम्बी फेहरिस्त देकर अपनी बातों को बोझिल नहीं बनाना चाहता । आखिर देश के अन्दर अब ये नई बातें क्यों देखने को मिलती हैं ? पहले हरिजन और आदिवासियों पर जुल्म होते थे भूस्वामियों के द्वारा, स्थिर स्वार्थों के द्वारा, लेकिन आज उनमें नई बात यह हो गई है कि पुलिस भी उसमें आकर शामिल हो गई है और कहीं-कहीं भू-स्वामियों और स्थिर स्वार्थों के लोगों और पुलिस की मिश्रीभगत हरिजन और आदिवासियों की हत्या का कारण बन जाती है । आखिर इन जुल्मों के पीछे कारण क्या हैं ? मैं तो यह समझता हूँ कि सरकार के द्वारा जितने भी प्रकार के कानून हरिजन, आदिवासियों या दूसरे कमजोर वर्ग के लोगों की रक्षा के लिए बनाये गये हैं, उनका पालन सरकार द्वारा नहीं होता और हरिजन और आदिवासियों पर जुल्म और अत्याचार का प्रधान कारण यहाँ पहले तो जमीन हुआ करती है या सरकार द्वारा पारित न्यूनतम मजदूरी कानून लागू करने की दिशा में जब खेत मजदूर बढ़ते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है । जो उनके ऊपर कर्ज का बहुत बड़ा बोझ है अगर उससे मुक्ति वह चाहते हैं तो भी उनकी हत्या कर दी जाती है या बन्धुआ जो मजदूर हैं, सरकार खुद स्वीकार करती है कि हरिजन और आदिवासियों में से, जितने बन्धुआ मजदूर हैं उनका 50 से 60 प्रतिशत तक हरिजन और आदिवासी हुआ करते हैं, वे जब मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है । सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए जितने भी कानून बनाये गये हैं वे तमाम कानून उनकी रक्षा करने में असमर्थ रहे हैं । चाहे

सरकार का कानून जमीन की रक्षा के लिए बना हो, चाहे बन्धुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए बना हो, चाहे वह कानून कर्ज से मुक्ति पाने के लिए हो, वे तमाम कानून व्यवहार में असफल साबित हुए हैं । अभी मैं छठी पंचवर्षीय योजना के आंकड़े देख रहा था, तो उसमें हमने पाया कि सरकार की विफलता का प्रधान कारण यह है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक हरिजन और आदिवासियों की रक्षा के लिए जितने भी प्रोग्राम थे वे सब काम चलाऊ प्रोग्राम थे, ऐड-हाक प्रोग्राम थे, कोई इंडीग्रेटेड योजना हरिजन और आदिवासियों की रक्षा के लिए नहीं बनाई गई थी । छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उनकी रक्षा के लिए जो कुछ भी कानून बनाए गए, मेरा अंदाजा यह है कि उनका परिपालन नहीं हो पाता है । जितने भी समाज सुधार के कानून सरकार ने हरिजन और आदिवासियों की रक्षा के लिए बनाए हैं, चाहे वे कानून हदबंदी से फाजिल जमीन के बंटवारे के लिए हो, चाहे उनको कर्ज से मुक्त करने के लिए हो या बन्धुआ मजदूरी से मुक्ति का कानून हो या इसी प्रकार के दूसरे कानून हों, या अनटचैबिलिटी का कानून हो, कोई भी कानून सही माने में लागू नहीं हो पाते हैं और सरकार के जो अधिकारी हैं वे इन्हें लागू करने के प्रति बिल्कुल गैर-जिम्मेदाराने रुख प्रदर्शित करते हैं । सरकार ने 1980 में, जिसका विवर आज के उत्तर में है, एक गाइड लाइन राज्यों को दी है और उसके मुताबिक राज्यों को कुछ काम करना है । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि कितने ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों के द्वारा इस गाइड लाइन को लागू करने की दिशा में कदम उठाया गया है ? उस गाइड लाइन में यह बात दी गई है

[ श्री सूरज प्रसाद ]

कि राज्यो के अंदर जो सैसेटिव जिले हैं उन जिलों में ऐसी पुलिस को बहाल किया जायेगा, ऐसे अफसरों को बहाल किया जायेगा जिनका रुख, जिनके विचार हरिजनों, आदिवासियों की रक्षा के लिये होंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बिहार के अंदर गौतम नाम का एक एस० पी० सैसेटिव जिला-रोहतास में बहाल किया गया। जब उसने इस तरफ कदम उठाना शुरू किया तो उसकी बदली कर दी गई। इसी तरह से बिहार के अंदर कई ऐसे आई० ए० एस० अफसर हैं जो सही माने में हरिजनों आदिवासियों की रक्षा के संबंध में कुछ विचार रखते हैं। इसी तरह से एक और अफसर हैं श्री सक्सेना उनको भी वहां से हटा दिया गया। आदिवासी जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में इन घटनाओं के होने के क्या कारण हैं। आदिवासियों की जमीन की बिक्री का कोई कानून नहीं है। आदिवासियों की जमीन खरीदी नहीं जा सकती लेकिन जो मनी लैंडर्स हैं, जो उनको कर्ज देते हैं वे कर्ज के बदले में उनकी जमीन का अपहरण कर लेते हैं। इसी प्रकार से जब आदिवासी उन जमीनों को लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं तब फिर उनको मारा-पीटा जाता है, उनकी हत्याएं की जाती हैं, उन पर जुल्म किये जाते हैं, अत्याचार किये जाते हैं। इसलिये मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। . . .

**श्री उपसभापति :** आपका बहुत समय हो गया है। आपके 12 मिनट हो गये हैं। अब समाप्त करिये।

**श्री सूरज प्रसाद :** मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि लखीमपुर में जो हत्या हुई उसकी हत्या के लिये कौन जिम्मेदार हैं? दूसरी बात यह है कि किन-किन राज्यों ने, सरकार के द्वारा

1980 की जो गाइड लाइन भेजी गई हैं उनको सही माने में लागू किया?

**श्री उपसभापति :** इसका जवाब दे दिया है। इसको छोड़ दीजिए।

**श्री सूरज प्रसाद :** जो सैसेटिव जिले हैं उनमें से एस० पी० और कलैक्टर की बहाली किन जिलों में की गई है? 1980, 81-82 और जो हरिजनों की हत्याएं हुई उनमें से कितने केसों का अभी तक निष्पादन हुआ है?

**श्री उपसभापति :** यह सब जवाब हो गया है। इसको छोड़ दीजिए।  
(व्यवधान)

**श्री सूरज प्रसाद :** इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि निष्पादन हुआ है।

**श्री उपसभापति :** आप इसको पढ़िये, इसमें सब लिखा है।

**श्री सूरज प्रसाद :** 1978 में जितने केसों . . .

**श्री रामेश्वर सिंह :** आप सवाल पूछिये। जिनका जवाब हो चुका है उनके बारे में सवाल क्यों पूछ रहे हैं। आपने बहुत समय ले लिया, अब समाप्त करिये

**श्री सूरज प्रसाद :** इन्होंने चार-पांच राज्यों के बारे में बताया है जहां स्पेशल कोर्ट्स बहाल हुए हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि दूसरे राज्यों में इसी तरह से स्पेशल कोर्ट्स क्यों नहीं बहाल किये जाते? इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार हरिजनों, आदिवासियों को पुलिस में काफी संख्या में भर्ती करेगी? सरकार का कहना है कि हम काफी संख्या में भर्ती करेंगे। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि पुलिस विभाग में हरिजनों और आदिवासियों को काफी

संख्या में उनके अनुपात के हिसाब से बहाल किया गया है या नहीं ? मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर कोई हवाई जहाज से मर जाता है, हवाई जहाज की दुर्घटना में मर जाता है तो उसको दो लाख रुपये का मुआवजा मिलता है। रेल दुर्घटना में अगर कोई मरता है तो उसको, जैसा कि अभी कानून बनाया है, एक लाख रुपये मुआवजा के रूप में मिल जायेगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या हवाई जहाज पर चलने वालों की जिन्दगी ज्यादा कीमती है कि इनको दो लाख रुपये मुआवजा मिलेगा और रेल दुर्घटना में मरने वालों को एक लाख रुपये मिलेगा और हरिजन जो मर जायेगा उसको 10 हजार रुपये ही दिया जायेगा। यह कौन सा नियम है ?

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हरिजनों और आदिवासियों की जिन्दगी की कम कीमत है ? आपको उनके मुआवजे की रकम बढ़ानी होगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जिन आदिवासियों की जमीन अपहृत हुई है, हड़प ली गई है उनको वह जमीन वापस दिलाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? क्या सरकार बिहार राज्य और दूसरे राज्यों को कोई आदेश देगी कि भूमि सुधारों के संबंध में जो कानून बनाये गये हैं और कर्ज से मुक्ति के संबंध में जो कानून बनाये गये हैं उनको लागू करने की दिशा में कारगर कदम उठाये ?

**श्री उपसभापति :** आप तो भाषण कर रहे हैं। अब आप समाप्त कीजिये।

**श्री सूरज प्रसाद :** मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हरिजनों और आदिवासियों की रक्षा पुलिस नहीं कर सकती है। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि हरिजनों को राइफल और बन्दुक देने के लिए सरकार क्या कर रही है ? इस

रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि छठी पंच-वर्षीय योजना में 50 परसेंट से अधिक लोगों को जो गरीबी का रेखा से नीचे हैं, उनको ऊपर उठाया जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को इस योजना के अन्तर्गत ऊपर उठाया गया है ? आदिवासियों के बारे में यह कहा जाता है कि 180 प्रोग्राम्स लागू किये जाएंगे। लेकिन अभी तक सिर्फ 62 प्रोग्राम लागू किये गये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इन सारे प्रोग्राम्स को लागू न करने का क्या कारण है ?

**श्री उपसभापति :** आपको बोलते हुए 16 मिनट हो गये हैं। इस तरह से तो पूरे दिन में भी यह पूरा नहीं होगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे सिर्फ सवाल पूछें। मंत्री जी को दूसरे सदन में भी जाना है। वे वहाँ पर व्यस्त रहेंगे। मंत्री जी, आप सिर्फ सवालों का जवाब दे दें और जो बातें आपने कह दी हैं उनको दोहराये नहीं।

**SHRI NIHAR RANJAN LASKAR :**  
Sir, I will confine myself to the questions that have not been stated in my main Statement. I would like to share the concern of my friend regarding the atrocities committed on Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I have already said that this is something shameful for us all as a nation that these sorts of atrocities are being committed on people who are the poorest of the poor in our society. It should be the concern of all of us that these sorts of atrocities are being committed on people. First of all, he has disputed the figures which I was giving when I wanted to show that the incidence is now coming down. I have read from the figures with me and it clearly shows that the incidence is coming down. I will just give the figures for the last three years. In 1980, the number of murders was 500; in September 1982, it has come down to 267. (Interruptions) If you dispute these figures, I have nothing

[Shri Nihar Ranjan Lasker]

to say. In the case of rape, in 1980 the figure was 551, and in September 1982, it is 308. Arson cases in 1980, 991; in 1982, 500. It definitely shows that the number of these cases is coming down, because both the State Governments and the Central Government are taking effective steps in this regard.

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश) :  
ये बातें तो आप अपने वक्तव्य में कह चुके हैं. (व्यवधान)।

श्री उपसभापति : अब आप उनको बोलने दीजिये। आप अपने भाषण में दुनिया भर की बातें कहते हैं, वे अगर कोई बात कहते हैं तो इसमें क्या बिगड़ता है।

श्री सूरज प्रसाद : केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही हैं, यह बताइये... (व्यवधान)।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is heinous crime?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: Sir, about Deepak Verma, we have now received a report from that Government that this officer has been arrested and a case has been registered against him and investigation is continuing. About the fact that some tribals were pulled behind a jeep by this particular officer, there is no such report with us, but still we are enquiring into this allegation. About the question of land and wages, basically these are social economic conflicts. It is a socio-economic problem. Initially, these people were dormant. They were not asking for their rights and privileges which they had. But now along with the passage of time, they are trying to make their rightful claims from the owners, or whoever they are. As a result these kinds of conflicts are taking place. And basically this is a land problem. And as I said, this particular Bihar incident is also a land problem. Here again, Sir, we have taken a lot of steps

in consultation with the various State Governments. With the support of into this problem, that the people who are entitled to possess the land and that it must have been given land, should be allowed to possess the land and that it must be ensured by the State Governments. About the agricultural labour wages also we have seen that whatever wages are prescribed in a particular State for the agricultural labourers, that should be ensured to them. The Home Minister has written to the State Governments. Also he has taken it up with the Agricultural Minister in the Central Government, and we are in correspondence with the various State Governments, and they are implementing the wage structure also.

About the guidelines, I have already said in the main statement, most of the guidelines, they are following. They are following that only because we have taken them into confidence before finalising these guidelines. And they have established cells. They have established special courts. Their police forces are also being reorganised. He asked about the reorganisation of the police forces. The report with me says that all the State Governments are reorganising their police forces, and they are also trying to induct more and more Scheduled Castes and Scheduled Tribes people into these forces to bring confidence to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people. So, these are also being done. All this is because of our guidelines, because the State Government have approved our guidelines and we have laid them in consultation with the State Governments. So, they are following these guidelines, Sir.

About the sensitive districts, I have already said that there are about 48 districts. All over the country there are 48 districts which have been identified as sensitive areas where this sort of incidents are being committed. As you have rightly said, in these sensitive districts at least, the State Governments should see that as far as possible there should be DMs or SPs from the Scheduled

Castes or the Scheduled Tribes. That is there in the guidelines. They are following it. I have some statistics. I can give it to the hon. House, Sir, in Bihar we have identified eleven districts as really sensitive districts where this kind of atrocities are being committed. There we have at present SPs—5 SCs and 3 STs. They have been posted in these sensitive districts. In U.P. we have as DMs eleven persons belonging to the Scheduled Castes and as SPs eight belonging to the Scheduled Castes—no Scheduled Tribe person is there—and as SDMs 48 belonging to the Scheduled Castes and four belonging to the Scheduled Tribes. This is the position in U. P. So far as Rajasthan is concerned, as DMs there are 3 Scheduled Castes and 3 Scheduled Tribes. As SPs there are two Scheduled Castes and three Scheduled Tribes. As SDMs there are three Scheduled Castes and 2 Scheduled Tribes. From this schedule you will see that most of the States are following the guidelines, and wherever possible they are trying to post these people, people belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, to fill these executive posts, senior posts.

One more point, I think, which he mentioned is about that incident in Purnea. He was asking who the people were, who the attackers were and what the report was. As far as the reports sent by the Bihar Government are concerned, they are not tribals. They belong to the Muslim Community, and I have already stated that 22 persons have already been arrested there.

And about the compensation, they have given certain preliminary relief. They have accepted our norm. Of course, it is not that much what the hon. Member has suggested, like compensation in the case of death in an air-crash or some other thing. But whatever we have suggested to the various State Governments, the Bihar 730 RS—8.

Government has suggested some norm, and this is the compensation that has to be paid to the victims or the members of their families in time. If you like to know the figures, I will give the figures. The figures are also with me. Sir, what is the norm accepted by the Bihar Government? In the case of murder they will give Rs. 10,000; permanent incapacitation, Rs. 5,000; temporary incapacitation, Rs. 1,000; grievous injury, Rs. 5,00; rape Rs. 2,000; house being fully damaged Rs. 2,000; partially damaged—Rs. 1,000; loss or damage to goats, cattle, etc.—Rs. 1,000; loss or damage to moveable property—Rs. 500. Not only this, in the case of Scheduled Castes, wherever heinous crimes of this kind are being committed, the policy guideline which has been accepted by the State Governments is that the entire village, where these crimes are committed, should be developed in various aspects; and roads and houses should be built. In various cases we have done it. In Belchi, in Pipra, in Kaila, in Bistrampur, in Kafalta, in Jetalpur, the villages have been remodelled according to our guidelines. Roads have been constructed and houses have been built there and they have been given special assistance so that the victim families can re-start their life—by the rest of the family members.

About the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the police force, I have already said. And this has been done according to our directions. These are the questions he has asked.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार)

उपसभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि चार आदमी मारे गये हैं, बिहार सरकार से जैसी आपको रिपोर्ट मिली है उसके आधार पर लेकिन अखबारों में बात आई है कि 9 आदमी मारे गये हैं। उस में यह भी बात है कि जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनपा सोरेन मारा गया है। स्पष्ट है



[श्री शिव चन्द्र झा]

किसी पोलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता जो रहे तो यह बिल्कुल एक जहाँ पर घोर अन्याय हो रहा है उस बात को निपटाने के लिए ज़मीन का ही मामला यदि हो ज़मीन आदिवासियों की थी उसको दूसरे लोग जो आदिवासी नहीं हैं, नहीं होने देते थे यह विवाद है। इसीलिए क्या सरकार को यह पता है कि जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मारा गया है, यदि नहीं तो पता लगा कर बताएंगे? दूसरा मेरा सवाल है कम्पनसेशन के बारे में आपने बता दिया है कि हर राज्य का लेकिन कम्पनसेशन का जहाँ तक सवाल है अभी एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि हवाई जहाज या ट्रेन के एक्सीडेंट से मरने वालों के लिए तो है और आदिवासियों के लिए आपको चिंता भी है तो कम्पनसेशन चाहे कोई किस तरह से भी मारा जाए उसके लिए एक नेशनल लेवल पर कम से कम आप 50 हजार तो कर सकते हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप करेंगे? तीसरा और अन्तिम सवाल मेरा यह है। उपसभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आप काम कर रहे हैं लेकिन जिस रूप में यह काम कर रहे हैं उस रूप में मालूम नहीं कब मंजिल पर पहुँचेंगे। इसको आपको वार फुटिंग पर डील करना चाहिये। मैं तो यह चाहूँगा कि एक खास ट्राइबल और शैड्यूल्ड कास्ट्स की मिनिस्ट्री यहां पर बना दी जाए जिसके लिए एक खास मंत्री रहे बावजूद होम मिनिस्ट्री में होने के। इसके लिए एक खास पोर्टफोलियो यहां पर हो। इनकी जो इकोनामिक प्रिवेंसिज़ हैं उनको टाइम बाऊंड प्रोग्राम बना कर के हल किया जाना चाहिये। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। आप यह समयबद्ध कार्यक्रम बना सकते हैं जैसे कि एक साल के अन्दर उनको ज़मीन दिला कर रहेंगे तो इस प्रकार से वार फुटिंग

पर कार्य करें। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए ट्राइबल एरिया में एक समय-बद्ध कार्यक्रम बना सकते हैं कि साल या छः महीने में उनके लिए हम रोजगार की व्यवस्था कर के रहेंगे। इस प्रकार की रिक्मेंडेंशंस भी हैं जो कई कमेटियों ने दी हैं। जय प्रकाश कमेटी एक बनाई गई थी। 1962-63 में जिसमें सुचेता कृपलानी जैसे सदस्य थे उनकी रिक्मेंडेंशंस के अनुसार आज की परिस्थिति में भी ट्राइबल एरियाज़ में उन लोगों की फुल इम्प्लायमेंट की नीति हम चला सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा रेडिकल काम करने की ज़रूरत नहीं है जो हमारी स्थिति है उसके तहत फुल इम्प्लायमेंट की नीति हम चला सकते हैं। तो आप चला सकते हैं। तीसरी बात है बन्धुआ मजदूरी की समस्या के बारे में। जितने भी बन्धुआ मजदूर हैं 95% सब शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब्स और ट्राइबल एरियाज़ के लोग हैं। आप उनको मुक्त तो करा रहे हैं लेकिन उनको रिहैबिलिटेड करने का काम ऐसे नहीं चलेगा। इसके लिए आपको वार फुटिंग पर मोनिटरिंग करना होगा। हर स्टेट, जितने मजदूर बन्धुआ मजदूरी से मुक्त किये जाएं उन सब को रिहैबिलिटेड करने के लिए एक टाइम बाऊंड कार्यक्रम बनाएं कि हम एक साल के अन्दर इनको जो समस्याएं हैं, जैसे इम्प्लायमेंट की समस्या है, ज़मीन को ले कर के समस्या है, बन्धुआ मजदूरी की समस्या है उनको आजाद कराएंगे और रिहैबिलिटेड करेंगे तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसा कोई कार्यक्रम जो वार फुटिंग पर हो बनाएंगे?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR:  
My friend has raised just two or three points. He has asked for a separate department for looking after the interests of the Scheduled Castes

and Scheduled Tribes. It is a suggestion which we will consider. As regards bonded labour, as you know we have initiated under the previous 20-point programme a scheme whereby bonded labour problem should be ended, should be banished, from our country. We have achieved a lot in this regard. In many of the States bonded labour problem has been completely wiped out. There is no bonded labour there. They have been rehabilitated. Whatever residuary problem is there, we are at it and we want to see that within the course of the Sixth Plan period that is also completely solved in our country. As regards a comprehensive policy for giving compensation to the victims of atrocities in Scheduled Castes and Scheduled Tribes, I have said already, we have tried to bring a uniform policy in this regard. It is a State matter. We are in touch with State Governments. Various State Governments have given their opinion. It has not been possible to come to an agreement. This is the position. As regards the economic and...

श्री शिव चन्द्र झा : फुल इम्प्लायमेंट की जे 0पी0 कमेटी की रिकमेंडेशन है। फुल इम्प्लायमेंट की नीति आप चला सकते हैं। अभी ऐसी परिस्थिति में उसे क्यों नहीं चलाते हैं।

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: The main point which he made is really important point regarding the upliftment of these people. Naturally we are trying for the upliftment of these people, economically and socially. We have taken a positive step in this direction. A special component plan has been made and separate money has been allotted for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We are anxious to see that these benefits directly go to the Scheduled Castes people, that they are benefited and they come up to a certain economic level. For Scheduled Tribes also special Tribal sub-plan is being planned and we are trying for their upliftment through

this strategy. We are making all these endeavours. But it requires everybody's help.

\*SHRI DEBENDRA NATH BARMAN (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, even after thirty-five years of independence we are discussing today in the House a subject which has brought disgrace to the nation. This House has discussed many times in the past about the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Whenever such a discussion takes place, the Government makes all kinds of tall promises about their welfare. They usually proclaim that various welfare measures will be undertaken for their benefit.

These days, atrocities are being committed on Scheduled Castes and Scheduled Tribes in various forms in various parts of the country. Their houses are being burnt. They are being murdered. Their women are being raped. We are, therefore, discussing about all these tragic incidents in the House today.

Mr. Deputy Chairman, why such tragic incidents are taking place in our country? We never come across communal disharmony and parochialism in Social Countries. But why our country is plagued with communalism and parochialism? On the 14th July, 1983 it was stated in the meeting of the Consultative Committee attached to the Ministry of Home Affairs that particularly in Congress-ruled States like U.P., Madhya Pradesh, Rajasthan and Bihar during the period of 5 months 3145 communal incidents took place out of total of 3701 cases reported. But let us look at Tripura and West Bengal. These States are being ruled by left parties. Why such tragic incidents of communal nature are not taking place in those States? The basic reason is that exploiting classes are in power in Congress-ruled States. They are interested to see that common people should still remain under the

\*English translation of the original speech delivered in Bengali.

(Shri Debendra Nath Barmar).

influence of a backward concept like feudalism. That is why they are injecting in a clever manner the germs of communalism and secessionism into their minds in order to keep them divided. Consequently, States like Bihar and Madhya Pradesh are more in the grip of communal and secessionist activities.

Most of the incidents relate to land to wages for the agricultural labour. They portray nothing but exploitation and torture of poor people by Zamindars and Jote-dars. This kind of exploitation and torture could have been stopped had the Government implemented land reform measures in right earnest. The surplus land as per ceiling laws, vested in the Government, should have been distributed to the land-less agricultural labourers. Similarly, all benami lands should have been acquired by the Government for distribution to them. I particularly stress upon this point that landless Adivasis and Scheduled Castes should have been given preference in the matter of distribution of surplus and benami lands as they are the most neglected, exploited and tortured people in society. The daily wage-earners could have survived had the Government assured them of daily minimum wages.

The present situation would not have come to such a depressing state had the Government made special arrangements for the education of neglected and exploited weaker sections in society. It is a fact that discussions, about the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes very often take place in Parliament. During the course of these discussions, speeches are made, saying that various plans are being formulated by the Government for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I feel such speeches are nothing but a camouflage to cover the disgraceful atrocities on them.

Most of the Adivasis and Harijans depend on agriculture for their livelihood. They are primarily share-croppers. I would like to know from the Hon. Minister what steps he has taken to protect the interests of Adivasi and Harijan Share-croppers? He should know that the Government of West Bengal have taken measures to protect the interests of share-croppers through 'Operation Barga'. Now registered share-croppers in that state are getting facilities of loans. They cannot be evicted from their lands. They have also been assured of daily minimum wages.

The Government of West Bengal has met the educational needs of those landless agricultural labourers, marginal farmers and share-croppers whose monthly income does not exceed Rs. 300/-. They are getting maintenance allowance of Rs. 20/- per month. They are provided with free medical treatment. Their children receive free education. They get clothes and text books free of cost. I would like to know from the Hon. Minister whether he has asked other State Governments to take all these measures? I would like to know whether or not the Congress-ruled States are committed to take measures for meeting just demands of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes?

I would like to know from the Hon. Minister whether the Central Government will ask other State Governments to implement Land Reform measures as they have been implemented in West Bengal? I would like to know whether the Government has fixed the minimum wages for the agricultural labourers or not? I would like to know whether or not the Government has any plan to enable the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to live in society with self-respect? I would like to know whether or not the Government has made special arrangements for meeting the educational needs of Scheduled Castes and Scheduled Tribes?

**SHRI NIHAR RANJAN LASKAR:**

The only question that he has asked is about land reforms. It is well known to everybody, I believe, and the steps we have taken in this regard. Most of the lands which are available have gone to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I have records with me to show that 51 per cent of the surplus land has gone to Scheduled Castes alone. There are other Scheduled Tribes also. Together they have been allotted the maximum of land. Sir, zamindari system we have abolished and we have taken all the surplus land. These are the ways in which we are trying to help the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people, who are really agriculturists, to get lands.

Sir, he has also said about wages. I have already answered that question and I have said that we are making endeavours along with the Labour Ministry so that the agricultural labourers get their wages properly.

Then, Sir, with regard to the question of possession of land, we are constantly in touch with the State Governments and whatever land is allotted to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, they would be allowed to take possession of those lands.

**MR. DEPUTY CHAIRMAN:** Yes, Mr. Kalraj Mishra.

**श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश):**  
उपसभापति महोदय, हरिजनों पर और

आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार से सम्बन्धित यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है। हमारे मित्रों ने कई जगह का उदाहरण देते हुए मंत्री महोदय से कई सवाल पूछे। श्रीमन्, जिस तराँके से अत्याचार का घटनाएं पहले हो रही थीं, जैसा स्वरूप उन का पहले था भूस्वामी हरिजनों, बनवासियों के ऊपर अत्याचार करते थे, आतंकित करते थे, परिणामस्वरूप मृत्यु होती थीं, लेकिन इस समय जो घटनाएं सामने आ रही हैं उन का स्वरूप दूसरा है। और घटनाएं इस प्रकार की हैं— भूस्वामी तो करते हो थे कि अब पुलिस के द्वारा जिस को सरकार की तरफ से रखा गया है कि पुलिस उन के संरक्षण की व्यवस्था करें हरिजनों और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। जैसा मेरे मित्र हीराचन्द जी ने बताया चार्दीवासा में गुआ नामक जगह पर 30 जून को हरिजन और बनवासी लोगों ने रोजगार के लिए प्रदर्शन किया। इंडियन आइरन एंड स्टील कम्पनी के जो मैनेजर थे उन से वे लोग मिलना चाहते थे, उन्होंने मिलने से इनकार किया, स्वाभाविक रूप से उत्तेजना बढ़ी इसी में झगड़ा हुआ। लोगों ने थाने पर जाकर रिपोर्ट की तो दीपक वर्मा, जिस का नाम मंत्री महोदय ने लिया उन के नेतृत्व में पुलिस ने एक व्यक्ति को जॉप में बांध कर तेजी से चलाया बस अड्डे पर ले जाकर तपती हुई धरती पर लेटने के लिए मजबूर किया। जब वह लेटा नहीं तो उस को बहुत पीटा। नतीजा यह हुआ कि वेद

[श्री कलराज मिश्र]

नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। उस की दोनों पत्नियाँ बेहोश हो गयीं। आदि-वासियों में लाश को दफनाया जाता है, लेकिन पुलिस ने ले कर उस को जला डाला, उस लाश को दफनाने के लिए नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री महोदय से कि क्या निलम्बन हो पनिशमेन्ट है। जिस पुलिस अधिकारी ने इस प्रकार का अमानवीय कुकृत्य किया उस के लिए निलम्बन दंड नहीं है। उस को 302 दफा में गिरफ्तार कर के जेल के अन्दर रखना चाहिए था। और कार्यवाही करनी चाहिए थी, लेकिन यह नहीं किया गया। दूसरी इसी प्रकार की घटना आप के सामने रखना चाहता हूँ; उत्तर प्रदेश में नैनीताल जिले में लाल कुआँ नामक स्थान पर एक बंगाली मजदूर को जिसका नाम देवेन्द्र पालिया है पुलिस के लोगों ने पकड़ कर कुछ करने को कहा। उस ने कहा हम काम करने जा रहे हैं। इस पर उन्होंने उस को पकड़ कर चोरी के अपराध में बुरी तरह से पीटा और इतना पीटा कि 23 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गयी। श्रीमन् मैं यह कहना चाहता हूँ कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक दिन लाश को रखे रहा, दूसरे दिन जब जनप्रतिनिधियों ने शोर-शराबा किया तब जलाने के लिए दिया। क्या पुलिस के उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई? मैं तीसरी घटना

बताना चाहता हूँ, वह हरिजन नहीं है— यह तो मजदूर था इस लिए मैंने उल्लेख किया — अभी बस्ती जिले में उत्तर प्रदेश के अन्दर खजुआ कांड के बारे में मैंने विशेष उल्लेख के माध्यम से चर्चा की। उस खजुआ कांड में पुलिस ने चार लोगों के गुप्तांग में ईंटें बांधकर और चार किलोमीटर तक दौड़ाया और एक स्कूल में ले जा कर जब वे बेहोश हो गये तो उन को एक दूसरे पर लिटा कर मजबूर किया गया लोगों को दिखाने के लिए कि यह आपस में कुकर्म कर रहे हैं और उन के मूँह में पेशाब कराया गया। इस सब में एक आदमी की मृत्यु हो गयी और यह घटना अप्रैल-मई की है। क्या इस के लिए कोई कार्यवाही की गयी? मंत्री महोदय कह देंगे कि उस को निलम्बित कर दिया गया है, वह सस्पेंड हो गया है। मैं एक घटना कल या परसों की बता रहा हूँ। गाजियाबाद में एक सत्य प्रकाश नाम का व्यक्ति है। वह सट्टेबाज है या बदमाश है, लेकिन पुलिस से उस को सांठगांठ थी और वह पुलिस को प्रति मास 3000 रुपए देता था। जब वहाँ नया कोतावाल आया तो उस ने उससे 5000 रुपए प्रति मास माँगे। उस ने कहा कि 3000 लेना हो तो लो, ज्यादा नहीं दूँगा। इस पर पुलिस वाले उसे पकड़ कर रास्ते पर पीटते हुए ले गये और उस को थाने में ले जा कर बुरी तरह से पीटा और उस के बाद वह मर गया। मैं इस बात की तरफ आप का

ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आप के समाचार पत्रों में भी यह बात आयी है। यह जो दैनिक हिन्दुस्तान है उस में आया है कि वह व्यक्ति मर गया और मर जाने के बाद वहाँ जनता ने वगावत की। हजारों की संख्या में वहाँ जनता से पुलिस की लड़ाई हुई और उस में एक सब-इंस्पेक्टर का रिवाल्वर छीन कर जनता ने उसी पर फायरिंग की। क्या इस प्रकार को वगावत के लिए आप जनता को प्रोत्साहित करेंगे? क्या इस तरह के कुकर्म जो पुलिस और उस के अधिकारियों के द्वारा हो रहे हैं उन के खिलाफ मंत्री महोदय ने किसी प्रकार की व्यवस्था की है?

दो, एक सवाल कर के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। जहाँ तक इस तरह की सारी घटनाएँ होती हैं और उन के लिए मंत्री महोदय ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं वे आंकड़े भी उन्हीं लोगों के द्वारा तैयार किये जाते हैं। इन अपराधों की रिपोर्ट भी उन्हीं के द्वारा लिखी जाती है लेकिन जो बेचारा गरीब है, जो दलित है, जो कमजोर है, वह जो सताया जाता है जब वह वहाँ अपनी रिपोर्ट लिखाने जाता है तो उन से वहाँ पैसा मांगा जाता है और जब वे पैसा नहीं देते हैं तो उन को मारपीट कर उन के खिलाफ ही मुकदमे कायम कर दिये जाते हैं। उन की रिपोर्ट कहां से आयेगी। कहां से आप ने आंकड़े इकट्ठे किये हैं। यह सब उन्हीं के द्वारा इकट्ठा

किये गये हैं और इस लिये मैं कहना चाहता हूँ कि लगातार अपराध हो रहे हैं और उन में दलित लोगों को आतंकित किया जाता है। दो, तीन वर्ष पूर्व 1980, 1981 में साढ़ूपुर देवली में कांड हुआ था। वहाँ हरिजन परिवार को नेस्तनाबूद कर दिया गया। उन के लिये केन्द्र सरकार ने और राज्य सरकार ने—राज्य सरकार की तो मुझे जानकारी है कि उन को सहायता का आश्वासन दिया गया था। वह सहायता उन को प्राप्त होनी चाहिए थी। लेकिन मांग होने के बाद भी वह प्राप्त नहीं हुई है। मैं जानना चाहता हूँ कि उन के लिये आप ने क्या व्यवस्था की है। इस के लिये आप ने स्पेशल सेल गठित किया है, मुआवजा दिया है, लेकिन इन बड़े-बड़े कांडों के लिये आप ने क्या किया है? हमारे झा साहब ने एक सवाल पूछा था और मैं उस की पुनरावृत्ति करना चाहता हूँ कि यह जो दलित और कमजोर लोग हैं, यह जो शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं इन के लिये आप क्या अलग मंत्रालय की व्यवस्था करेंगे। क्या इन की जिम्मेदारी आप एक अलग से कायम किये गये मंत्रालय को देने के सुझाव पर विचार करेंगे ताकि उन को कुछ आश्वासन प्राप्त हो, कुछ विश्वास प्राप्त हो। अंतिम सवाल कर के मैं बैठ जाऊंगा कि यह जो घटनाएँ मंत्री महोदय की आंखों के सामने लायी गयी हैं और समय-समय पर सदन के माध्यम से उन के सामने आती रही हैं उन के संबंध में राज्य सरकारों को क्या कड़ाई के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट निर्देश देगी ताकि उन का विश्वास प्राप्त किया जा सके और जो पुलिस अधिकारी इस तरह के अपराध कर रहे हैं उन को दंडित किया जा सके।

**SHRI NIHAR RANJAN LASKAR:**  
Sir, about how many police officers have been punished in different States we do not compile this sort of figures on central basis in Delhi. If any incident comes to our notice like the one brought out by the hon. Member, we take action. I have already said that the DSP concerned has already been suspended and action is being taken against him. The other cases naturally we will send to the State Governments and try to get facts and also inform the hon. Members. Sir, this is the only way in which we can tackle this problem. There may be police officers who are involved like this. But unless a case comes to our notice, we cannot take any action. This is the position. We have already in our guidelines and discussed this problem in separate meetings with Chief Ministers and Chief Secretaries in Delhi, we have impressed this particular aspect, and any of the officers, may be in the police or any responsible executive officer, if he is found to be defaulting, an entry is made in his C.R. so that we know whether those officers who are there are doing their jobs properly or not.

Regarding a separate department. I P. M. ment, I have already said that it is just a suggestion and the Government would like to consider it. These are the two main points raised by the hon. Member.

**श्री रामेश्वर सिंह :** उपसभापति महोदय, हर सत्र में करीब-करीब हम लोग इसी विषय पर चर्चा करते रहे हैं। मैं यह देख रहा हूँ कि कोई सत्र ऐसा नहीं होता जिसमें हरिजन जुल्म, आदिवासियों पर जुल्म पर बहस न हो। मैं समझता हूँ कि जो क्रम चल रहा है, जो गतिविधि चल रही है, इससे यह क्रम रुकने वाला नहीं है। जो हम बहस कर रहे हैं, असली मुद्दे से हटकर करते हैं। सरकार चाहती है कि इस मुद्दे पर बहस हो कि हरिजन कितने मारे जा रहे हैं। सरकार द्वारा अखबारों में

प्रचारित कराया जाता है कि सिक्खों द्वारा हरिजनों पर हमला, जाटों द्वारा हरिजनों पर हमला, ठाकुरों द्वारा हरिजनों पर हमला, ब्राह्मणों द्वारा हरिजनों पर हमला। ब्राह्मण-ठाकुर, सिक्ख-हरिजन इस तरह से जातीय झगड़े कराये जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि क्यों ?

इस सवाल से हटकर मैं अब इस पर बहस करना चाहता हूँ और अपनी राय स्पष्ट रखना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि 30-32 वर्षों में जो मेरा अनुभव है, मेरी जो जानकारी है, मैंने जो सियासत की है, उससे मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि यह हुकूमत कुछ करने वाली नहीं है। अभी मैंने रिपोर्ट देखी है, वह मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ। 1909 में, मेरे पास समय अधिक नहीं है, मुझे पता है उपसभापति जी मुझे समय नहीं देंगे। . . .

**श्री उपसभापति :** मेरा ख्याल है अभी इसको स्थगित करिये और 5 बजे आप 10 मिनट बोलियेगा।

अब सदन की कार्यवाही ढाई बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch at four minutes past one of the clock.

The House re-assembled after Lunch at thirty-three minutes past two of the clock, **The Vice Chairman (Shri R. R. Morarka)** in the Chair.

# **ANNOUNCEMENT RE. GOVERNMENT BUSINESS FOR THE WEEK COMMENCING 8TH AUGUST, 1983**

**THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI KALP NATH RAI):** With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 8th August, 1983, will consist of: